उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–3
संख्या बी–3–4115/दस–94–1(11)/79–भवन
लखनऊः दिनांक 12 अक्टूबर, 1994
कार्यालय–ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि कार्यालय–ज्ञाप संख्या बी–3–997/दस–80–ए ;प्प्द्ध/79–भवन, दिनांक 26.4.1980 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे राज्य कर्मचारियों को भी भवन निर्माण आदि अग्रिम अनुमन्य होगा जिसका भूखण्ड/भवन उसके तथा उसकी पत्नी (अथवा उसके पति), उसके सगे भाई/भाइयों, उसके पिता, उसकी माता अथवा उसके पुत्र/पुत्रों के संयुक्त स्वामित्व में हो अथवा उनके संयुक्त नाम के पट्टे पर हो, बशर्तें अग्रिम का प्रस्ताव अन्य सभी प्रकार से नियमानुकूल हो।

2. शासन के समक्ष कुछ समय से यह प्रश्न विचाराधीन था कि ऐसे राज्य कर्मचारियों को भी भवन निर्माण आदि अग्रिम अनुमन्य कराया जाये जिनका भूखण्ड/भवन उनकी पुत्री/पुत्रियों अथवा बहन/बहनों के संयुक्त स्वामित्व में हो अथवा उनके संयुक्त नाम में पट्टे पर हो। समुचित विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे राज्य कर्मचारियों को भी भवन निर्माण आदि अग्रिम अनुमन्य होगा जिनका भूखण्ड/भवन उसके तथा उसकी पत्नी (अथवा उसके पति), उसके सगे भाई/भाइयों, उसके पिता, उसकी माता अथवा पुत्र/पुत्रों के अलावा कर्मचारी की पुत्री/पुत्रियों अथवा बहन/बहनों के संयुक्त स्वामित्व में हो अथवा उनके संयुक्त नाम में पट्टे पर हो।

3. ऐसे प्रकरणों में भवन निर्माण आदि अग्रिम की स्वीकृति हेतु आवेदक कर्मचारी द्वारा दिये जाने वाले प्रार्थना–पत्र के साथ उसके पति (अथवा उसकी पत्नी), उसके सगे भाई/भाइयों, उसके पिता, उसकी माता, उसके पुत्र/पुत्रों, उसकी पुत्री/पुत्रियों अथवा उसकी बहन/बहनों (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा संलग्न प्रपत्र में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि प्रार्थित अग्रिम स्वीकृत कर दिया जाता है तो परिवार के सभी सम्बन्धित सदस्य स्वीकृत अग्रिम की धनराशि के आहरण के पूर्व भूखण्ड/भवन का अपना–अपना भाग संयुक्त रूप से अग्रिम के प्रतिदान के लिये प्रतिभूति के रूप में राज्यपाल के पक्ष में बन्धक रख देंगे। यदि प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त कर्मचारी को अग्रिम स्वीकृत करने का निर्णय लिया जाता है तो स्वीकृत अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि की प्रतिभूति में सम्पत्ति शासन के पक्ष में बन्धक रखने हेतु रजिस्टर्ड बन्धक–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही स्वीकृत अग्रिम की धनराशि/प्रथम किस्त का आहरण एवं वितरण किया जायेगा।

4. ऐसे भूखण्ड/भवन जो पूर्ण स्वामित्व के होंगे और जो प्रार्थी तथा उसके पति (अथवा उसकी पत्नी), उसके सगे भाई/भाइयों, उसके पिता, उसकी माता उसके पुत्र/पुत्रों, उसकी पुत्री/पुत्रियों, उसके बहन/बहनों के संयुक्त नाम से होंगे उन पर भवन निर्माण आदि हेतु अग्रिम के लिये बन्धक–पत्र संलग्न बन्धक फार्म–22 डी में तथा परिवार के उक्त सदस्यों के संयुक्त नाम से पट्टे वाली सम्पत्ति पर अग्रिम के लिये संलग्न बन्धक फार्म 23–ए में भरा जना चाहिये।

5. जिन मामलों में स्टैम्प ड्यूटी से सम्बन्धित व्यय आवेदक कर्मचारी द्वारा वहन किया जाना है, उनमें बन्धक–पत्र रजिस्ट्रेशन से पूर्व उचित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर भरा जायेगा।

6. उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 26.4.1980 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

7. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 के अध्याय–11 के सम्बन्धित अनुच्छेदों में आवश्यक संशोधन बाद में अलग से किये जायेंगे।

ह0अस्पष्ट
वी0 वेंकटाचलम,
सचिव, वित्त
(वेतन एवं वित्त आयोग)।